

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-भोपाल

नि.प्र. 3615 FBR/16

राजेन्द्र सिंह साहनी पुत्र स्व. श्री अविनाशी सिंह
निवासी-21 रिज रोड, ईदगाह हिल्स भोपाल
(म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1- रिलायवल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
भोपाल 16 अमर स्तम्भ प्रेंस कॉम्प्लेक्स जोन-1
एम.पी. नगर भोपाल द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी
गोमती शरण बैस
- 2- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल
(म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत
भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक
07.09.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि खसरा क्रमांक 28/1/1 क रकवा 0.20 एकड़ भूमि समिति द्वारा सदस्यों को प्लॉट काटकर आवंटित किये गये है। जिसकी देख रेख समिति द्वारा की जाती है। उक्त भूमि से संस्था द्वारा पार्क निर्माण के लिये छोड़ी गयी भूमि पर पवनीत सिंह ने साथियों के साथ कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार से समिति की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं किया गया। जिस संबंध में आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा गया है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत तथा कथित दस्तावेजो पर विश्वास कर आवेदक के विरुद्ध दिनांक 08.03.2016 को आदेश पारित किया है।
- 2- यहकि, विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नजूल बैरागढ़ वृत भोपाल के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 31/15-16 प्रस्तुत की गयी है। जिसमें संहिता की धारा 52 के अधीन स्थगन

विनोद कुमार मिश्रा
18/10/16

श्री. वि. न. वि.
प्रस्तुत
18-10-16

303
18-10-16

216

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

114

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र. निगरानी-3615-पीबीआर/16

जिला- भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-10-16	<p>आवेदक अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को ग्राहयता एवं स्थगन पर सुना गया । ग्राहयता के पूर्व अभिलेख का अवलोकन करना आवश्यक प्रतीत होता है । अतः अभिलेख तलब हो । अनावेदकगण सूचित हों ।</p> <p>जहां तक स्थगन का प्रश्न है । सुविध संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से तहसीलदार, नजूल बैरागढ़ भोपाल के प्र.क्र. 4/अ-68/15-16 ग्राम ईदगाह हिल्स आदेश दिनांक 8-3-16 का क्रियान्वयन आगामी तीन माह के लिये स्थगित किया जाता है । आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण केम्प भोपाल पर नियत किया जाता है ।</p> <p>पेशी दि. 26-10-16 केम्प भोपाल</p> <p>आवेदक की डॉर से युक्त उपरोक्त कोई भी उपस्थित नहीं । तीन बार पुकार लगाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण डॉर में निरस्त किया जाता है ।</p>	<p>सदस्य</p> <p>अध्याक्ष</p>

26.10.2016

20